पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 81/2019

अनवान :

1. मनीराम
2. सन्तलाल

} पुत्रान भूपसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनिता देवी पुत्री भूपसिंह पत्नी सुभाषचन्द जाति जाट हाल निवासी चुलीकलां तहसील व जिला फतेहाबाद।
3. सुमन पुत्री भूपसिंह पत्नी अशोक जाति जाट हाल निवासी चुलीकला तहसील व जिला फतेहाबाद।
4. धापा पुत्री भूपसिंह पत्नी रविन्द्र जाति जाट निवासी नाथुसरी तहसील व जिलाप सिरसा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 डीपीएन के खाता सं0 नई/पुरानी 112/117 के मु0नं0 9 के किला नं0 2 से 25, मु0नं0 10 के किला नं0 1 से 3, 8 से 14, 20, 21 की 9.1080 है0 भूमि जिसमें प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम 360 हिस्सा अर्थात् 4.554 है0 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीयागण सं0 2 ता 4 जो कि वादीगण की बहिने है ने चक 5 डीपीएन की सम्पूर्ण कृषि भूमि में से व प्रतिवादी सं0 1 ने चक 5 डीपीएन के खाता 112/117 में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये सम्पूर्ण हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार चक 5 डीपीएन के खाता सं0 112/117 की कृषि भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे तथा चक 5 डीपीएन के खाता सं0 115/116 के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 10 से 25 की 4.0990 है0 नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाल की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल) 18.7.19
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 81/2019

अनवान :

1. मनीराम
2. सन्तलाल

} पुत्रान भूपसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुनिता देवी पुत्री भूपसिंह पत्नी सुभाषचन्द जाति जाट हाल निवासी चुलीकलां तहसील व जिला फतेहाबाद।
3. सुमन पुत्री भूपसिंह पत्नी अशोक जाति जाट हाल निवासी चुलीकलां तहसील व जिला फतेहाबाद।
4. धापा पुत्री भूपसिंह पत्नी रविन्द्र जाति जाट निवासी नाथुसरी तहसील व जिला सिरसा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा एवं
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **वादीगण**
वकील श्री विनोद शर्मा : **प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक : 18.07.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 डीपीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 नई पुरानी 112/117 के मु0नं0 9 के किला नं0 2 से 25, मु0नं0 10 के किला नं0 1 से 3, 8 से 14, 20, 21 की 9.1080 है0 भूमि जिसमें प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम दर्ज 360 हिस्सा अर्थात् 4.554 है0 कृषि भूमि व इसी चक 5 डीपीएन के जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 नई पुरानी 115/116 के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 10 से 25 की 4.0990 है0 नहरी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि वाद भूमि है।

वाद भूमि वादीगण के पड़दादा गणपतराम की खातेदारी भूमि थी। वादीगण के पड़दादा गणपतराम के दो पुत्र हरिसिंह व सांवतराम हुए। चूंकि वादीगण के दादा सांवतराम का अपने पिता गणपतराम के जीवनकाल में ही देहान्त हो गया था। इसलिए वादी के पड़दादा गणपत के देहान्त के बाद दोनों खातों की भूमि में उनके दो पुत्रों हरिसिंह व सांवतराम के हिस्से की भूमि चूंकि : हरिसिंह मौजूद था। इसलिए 1/2 हिस्सा हरिसिंह के नाम दर्ज हो गया, सांवतराम की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सांवतराम वाला 1/2 हिस्सा भूपसिंह के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार दावा की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण की दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें हर दोनों

18.7.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिह के नाम दर्ज कृषि भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि की बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य 14 जनवरी 2019 को मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ। जिसके ताबे प्रतिवादीगण सं0 2 से 4 ने चक 5 डीपीएन के खाता सं0 112/117 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 360 हिस्सा अर्थात् 4.554 है0 भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया और यह भी तय किया गया कि इस खाता की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह का कोई हिस्सा नहीं है। इस खाता संख्या 112/117 की 360 हिस्सा अर्थात् 4.554 है0 भूमि के वादीगण संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार होंगे तथा चक 5 डीपीएन के खाता सं0 115/116 की 4.0990 है0 भूमि का 1/2 भाग जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है वह उसका यथावत् खातेदार काश्तकार दर्ज रहेगा।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। पत्रावली साक्ष्य हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादीगण में वादी मनीराम पुत्र भूपसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक चक 5 डीपीएन के खाता सं0 112/117 व 115/116 सम्वत् 2071 से 74 की प्रदर्श 1 व 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि दादालाई पैत्रिक कृषि भूमि है। दादालाई भूमि के संबंध में पूर्ण प्रमाण संलग्न पत्रावली है। तीन बहिनों द्वारा हकत्याग किया गया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादीगण ने चक 5 डीपीएन के राजव रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि वादीगण के पड़दादा गणपतराम की खातेदारी भूमि थी। वादीगण के पड़दादा गणपतराम के दो पुत्र हरिसिंह व सांवतराम हुए। चूंकि वादीगण के दादा सांवतराम का अपने पिता गणपतराम के जीवनकाल में ही देहान्त हो गया था, इसलिए वादी के पड़दादा गणपत के देहान्त के बाद दोनों खातों की भूमि में उनके दो पुत्रों हरिसिंह व सांवतराम के हिस्से की भूमि चूंकि : हरिसिंह मौजूद था। इसलिए 1/2 हिस्सा हरिसिंह के नाम दर्ज हो गया तथा सांवतराम की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सांवतराम वाला 1/2 हिस्सा भूपसिंह के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार विवादित कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादीगण के पड़दादा गणपत पुत्र हरजी जाति जाट घोटिया के नाम दर्ज है व सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "**गणपत पुत्र हरजी के दो पुत्र हरिसिंह व सांवतराम थे जिनमें सांवतराम का देहान्त गणपत के जीवनकाल में हो गया था। सांवतराम के एक पुत्र भूपसिंह है। गणपत पुत्र हरजी भूपसिंह पुत्र सांवतराम का दादा था।**" तथा वादी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति प्रमाणित नामान्तरण रजिस्टर चक 5 डीपीएन के अवलोकन से स्पष्ट है

18.7.12

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कि वाद भूमि गणपतराम के फौत होने के बाद हरिसिंह वल्द गणपतराम व सांवतराम के पुत्र प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदियात में दर्ज हुई है, जिससे वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है तथा पक्षकारान ने मौखिक पारिवारिक समझौता के मुताबिक राजीनामा कर दिया है जिसके अनुसार प्रतिवादीयागण सं0 2 ता 4 जो कि वादीगण की बहिने है ने चक 5 डीपीएन की सम्पूर्ण कृषि भूमि में से व प्रतिवादी सं0 1 ने चक 5 डीपीएन के खाता 112/117 में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है व चक डीपीएन के खाता सं0 115/116 के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 10 से 25 की 4.0990 है0 नहरी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखने व चक 5 डीपीएन के खाता सं0 112/117 की कृषि भूमि में वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने जाने पर सहमत है व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में भूपसिंह वल्द सांवताराम के वारिसान में दो पुत्र मनीराम, संतलाल व तीन पुत्रियां सुनीता देवी, सुमन व धापा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 डीपीएन के खाता सं0 नई/पुरानी 112/117 के मु0नं0 9 के किला नं0 2 से 25, मु0नं0 10 के किला नं0 1 से 3, 8 से 14, 20, 21 की 9.1080 है0 भूमि जिसमें प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम 360 हिस्सा अर्थात् 4.554 है0 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीयागण सं0 2 ता 4 जो कि वादीगण की बहिने है ने चक 5 डीपीएन की सम्पूर्ण कृषि भूमि में से व प्रतिवादी सं0 1 ने चक 5 डीपीएन के खाता 112/117 में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये सम्पूर्ण हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार चक 5 डीपीएन के खाता सं0 112/117 की कृषि भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे तथा चक 5 डीपीएन के खाता सं0 115/116 के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 10 से 25 की 4.0990 है0 नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़